रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255511 CG-DL-E-18072024-255511

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]

No. 26351

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 15, 2024/आषाढ 24, 1946 NEW DELHI, MONDAY, JULY 15, 2024/ASHADHA 24, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

का.आ. 2771(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बोल्ट, नट्स और फास्टनर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को बोल्ट, नट्स और फास्टनर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) इस आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट को छोड़कर, यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग (1) तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगाः

4259 GI/2024 (1)

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यमतालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तिथि से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे:

तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक		सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	
				उद्यमों को	गा साराज	तारीख
				छोड़कर)		\(\(\)\(\)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1363 (भाग 1):	ग्रेड सी उत्पाद के हेक्सागन	1 अगस्त, 2024	1 फरवरी, 2025	1 नवंबर,
	और	2019	हेडबोल्ट, स्क्रूऔर नट - हेक्सागन			2024
	फास्टनर्स		हेड बोल्ट (आकार एम 5 से एम 64			
			तक)			
			हेक्सागन हेड स्क्रू (आकार एम 5 से			
		2018	एम 64 तक)			
			ग्रेड सी उत्पाद के हेक्सागन हेड			
		2018	बोल्ट, स्क्रू और नट - हेक्सागन नट			
			(आकार एम 5 से एम 64 तक)			
			ग्रेड ए और बी उत्पाद के हेक्सागन			
		2018	हेड बोल्ट, स्क्रू और नट - हेक्सागन			
			हेड बोल्ट (आकार एम 1.6 से एम			
		1004 (64)			
			ग्रेड ए और बी उत्पाद के हेक्सागन			
		2018	हेड बोल्ट, स्क्रू और नट - हेक्सागन			
		4621:1975	हेड स्क्रू (आकार एम 1.6 से एम 64) सार्वजनिक स्नानागारों और			
		4621.1975	शौचालयों में इस्तेमाल के लिए			
			इंडिकेटिंग बोल्ट			
		5187:1972	फ्लश बोल्ट			
		10238:2001	फास्टनर्स - थ्रेडेड स्टील फास्टनर्स–			
		10230.2001	स्टील के ढांचों के लिए स्टेप बोल्ट			
		12427:2001	फास्टनर्स - थ्रेडेड स्टील फास्टनर्स–			
		12-127.2001	हेक्सागन हेड ट्रांसमिशन टावर			
			बोल्ट			
		3757:1985	अधिक मजबूती वाले स्ट्रक्चरल बोल्ट			
			टावर बोल्ट- गैर-लौह धातु			
		1992				
		204 (भाग 1):	टावर बोल्ट- लौह धातु			
		1991	, 9			
		15834:2020	स्टेनलेस स्टील स्लाइडिंग डोर बोल्ट			
			(एलड्रॉप्स) पैडलॉक के साथ			
			इस्तेमाल के लिए			
		2681:1993	गैर-लौह धातु स्लाइर्डिंग डोर बोल्ट			
			एलड्रॉप्स) पैडलॉक के साथ इस्तेमाल			
			के लिए			

281:2009	माइल्ड स्टील स्लाइर्डिंग डोर बोल्ट		
	पैडलॉक के साथ इस्तेमाल के लिए		
7534:1985	स्लाइडिंग लॉकिंग बोल्ट पैडलॉक के		
	साथ इस्तेमाल के लिए		
1284:1975	रॉट एल्यूमीनियम एलॉय बोल्ट और		
	स्क्रू स्टॉक सामान्य इंजीनियरिंग		
	प्रयोजनों के लिए		
15833:2009	स्टेनलेस स्टील टावर बोल्ट		
6623:2004	अधिक मजबूती वाले स्ट्रक्चरल नट्स		

स्पष्टीकरण –इस तालिका के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचितभारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, उनमें किए गए संशोधनों सहित, लागू होंगे।

- (2) इस आदेश में से कुछ भी निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा, नामत: -
 - (क) निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुएंअथवा सामान;
 - (ख) किसी तैयार वस्तु अथवा उसके हिस्सों अथवा पुर्जों के भाग के रूप में आयातित वस्तुएं अथवा सेवाएं;
 - (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'उद्यम पोर्टल'पर पंजीकृत उद्यम द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित वस्तुएं अथवा सेवाएं, जहां संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरणों में निवेश की मूल लागत पच्चीस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है।
- (3) इस आदेश के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस आदेश में से कुछ भी निम्नलिखित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, नामत: -
 - (क) निर्यात के लिए भारत में उपकरण या उत्पाद या हिस्से या पुर्जे के विनिर्माण के लिए विनिर्माता द्वारा आयातित वस्तुएं अथवा सामान,इस शर्त के अध्यधीन कि विनिर्माता अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने लेटर-हेड पर इस संबंध में केन्द्र सरकार को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें आयात कंसाइनमेंट का चालान संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरण तथा एक घोषणा-पत्र होगा कि इस प्रकार आयातित वस्तुएं या सामान को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा या घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाएगा और विनिर्माता संबंधित सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन या लेखा परीक्षा के लिए,ऐसी आयातित वस्तुओं और सामान तथा उसके उत्पाद का रिकॉर्ड रखेगा;
 - (ख) किसी विनिर्माता द्वारा आयातित वस्तु अथवा सामान, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2), (3) और (4) के तहतविनिर्दिष्ट वस्तु या सामान के मूल्य तक, जिन्हें निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार भारत में उपकरण या उत्पाद या हिस्से या घटक के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए एक वित्त वर्ष में आयात किया जाना है,नामत: -

तालिका

वस्तु अथवा सामान	आयात का वर्ष		
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27 तथा उसके
			पश्चात्
(1)	(2)	(3)	(4)
बोल्ट, नट्स और	वित्त वर्ष 2023-24 में	वित्त वर्ष 2023-24 में	वित्त वर्ष 2023-24 में आयातित
फास्टनर्स	आयातित वस्तुओं अथवा	आयातित वस्तुओं अथवा	वस्तुओं अथवा सामान के कुल मूल्य
	सामान के कुल मूल्य के 80	सामान के कुल मूल्य के 70	के 50 प्रतिशत तक
	प्रतिशत तक	प्रतिशत तक	

बशर्ते कि विनिर्माता ऐसी वस्तु अथवा सामान का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा और उसे अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लेटर हेड पर संबंधित सरकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इसके अतिरिक्त विनिर्माता केन्द्र सरकार को वस्तु अथवा सामान के स्वदेशीकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत करेगा।

- (4) इस आदेश में से कुछ भी बोल्ट, नट्स और फास्टनर्स के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष दो सौ किलोग्राम तक आयातित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसके साथ यह शर्त है कि ऐसी आयातित वस्तु और सामान को व्यावसायिकतौर पर बेचा नहीं जाएगा और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जा सकेगा तथाविनिर्माता आयातित वस्तुओं अथवा सामान का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा और अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लेटरहेड परविधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करके केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (5) इस आदेश में कुछ भी ऐसी वस्तु अथवा सामान पर, वित्त वर्ष 2023-24 में आयातित बोल्ट, नट्स और फास्टनर के मूल्य के पांच प्रतिशत तक,लागू नहीं होगा, जो किसी उपकरण या उत्पाद या हिस्से या घटक के विनिर्माता द्वारा स्पेयर के रूप में या बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू रूप से खरीदे या आयात किए जाते हैं, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसा निर्माता इस आदेश के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर घरेलू रूप से खरीदे या आयात किए गए नट्स, बोल्ट और फास्टनर के अपने पुराने स्टॉक की सूचना भारतीय मानक ब्यूरो को देगा तथा ऐसी वस्तु अथवा सामान का वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा एवं अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपने लेटर हेड परविधिवत रूप से हस्ताक्षरित करके केंद्र सरकार के अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा।
- 3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण** –उक्तब्यूरो इस आदेश में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा.सं.पी - 29026/1/2023– एलईआई] संजीव, संयक्त सचिव

$\label{eq:ministry} \textbf{MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY} \\ \textbf{(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)}$

ORDER

New Delhi, the 12th July, 2024

- **S.O. 2771(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2024.
- (2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Compulsory use of Standard Mark.-** (1) Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

TABLE

	Goods or Articles	Indian Standard		implementation	Implementation for Micro	Date of Implementation for Small Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1363 (Part 1): 2019	Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of product Grade C Hexagon Head Bolts (Size Range M 5 to M 64)	1 st August, 2024	•	1 st November, 2024

-		
	1363 (Part 2):	
	2018	ranges from M 5 to M 64)
	1363 (Part 3):	
	2018	and Nuts of product Grade C -
		Hexagon Nuts (Size Range M5
		to M64)
	1364 (Part 1):	Hexagon Head Bolts, Screws
	2018	and Nuts of product Grades A
		and B - Hexagon Head Bolts
		(Size Range M 1.6 To M 64)
	1364 (Part 2):	
	2018	and Nuts of Product Grades A
		and B - Hexagon Head Screws
		(Size Range M 1.6 to M 64)
	4621:1975	Indicating Bolts for use in
	1.22.1.27.7	public baths and lavatories
	5187:1972	Flush Bolts
	10238:2001	Fasteners - Threaded Steel
		Fastener - Step Bolts for Steel
		Structures
	12427:2001	Fasteners - Threaded Steel
		Fasteners - Hexagon Head
		Transmission Tower Bolts
	3757:1985	High Strength Structural Bolts
	204 (Part 2):	Tower Bolts- Non-ferrous
	1992	metals
	204 (Part 1):	Tower Bolts- Ferrous metals
	1991	
	15834:2020	Stainless Steel Sliding Door
		Bolts (aldrops) for use With
		Padlocks
	2681:1993	Non-ferrous metal sliding door
		bolts (aldrops) for use with
		padlocks
	281:2009	Mild steel sliding door bolts
		for use with padlocks
	7534:1985	Sliding locking bolts for use
		with padlocks
	1284:1975	Wrought Aluminium Alloy
		Bolt and Screw Stock for
		General Engineering purposes
	15833:2009	Stainless steel Tower Bolts
	6623:2004	High Strength Structural Nuts

Explanation.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

- (2) Nothing in this Order shall apply to the following, namely:-
 - (a) goods or articles manufactured domestically for export;
 - (b) goods or articles imported as a part of any finished good or sub-assembly or component;
 - (c) goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered on the "Udyam Portal" maintained by Central Government in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the preceding financial year as certified by a Chartered Accountant.
- (3) Nothing in this Order shall apply for a period of three years from the date of the commencement of this Order to the following goods or articles, namely:—
 - (a) goods or articles imported by a manufacturer for manufacturing equipment or product or sub-assemblies or component in India for exports subject to the condition that the manufacturer furnishes a self-declaration in this regard in its letter-head signed by its authorized signatory to the Central Government mentioning the

invoice number and other relevant details of the import consignment and an undertaking that the goods or articles so imported shall not be put to any other use or sold in the domestic market and the manufacturer shall maintain the record of such goods and articles imported and its product for verification or audit by the Government authorities concerned;

(b) goods or articles imported by a manufacturer upto the value of goods or articles specified under columns (2), (3) and (4) of the following Table to be imported in a financial years as for the purposes of manufacturing equipment or product or sub-assemblies or component in India as per the following schedule, namely:-

Т	à	b	le

Goods or Articles	Year of Imports			
	Financial Year 2024-25	Financial Year 2025-26	Financial Year 2026-27 and thereafter	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Bolts, Nuts and Fasteners	Upto 80% of the total value of goods or article imported in the financial year 2023-2024		Upto 50% of the total value of goods or article in the financial year 2023-2024	

Provided that the manufacturer shall maintain year-wise record of such goods or articles and furnish the same to Government authorities concerned in its letter head signed by its authorized signatory and in addition the manufacturer shall submit a plan for indigenization of goods or article to the Central Government.

- (4) Nothing in this Order shall apply up to two hundred kilograms of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of bolts, nuts and fasteners per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain financial year-wise record of the goods or articles and furnish to the Government authorities concerned in its letter head signed by its authorized signatory.
- (5) Nothing in this Order shall apply to goods or article which are domestically procured or imported as spares or for providing after-sales service by a manufacturer of equipment or product or sub-assemblies or component, up to five percent of the value of bolts, nuts and fastener imported in the financial year 2023-24 subject to the condition that such manufacturer shall declare its old stock of nuts, bolts and fasteners domestically procured or imported within three months from the date of commencement of this Order to the Bureau Indian Standards and maintain a year-wise record of such goods or articles and furnish to the Central Government authorities in its letter head duly signed by its authorized signatory.
- 3. **Certification and enforcement authority.-** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified under this Order.
- 4. **Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P-29026/1/2023-LEI] SANJIV, Jt. Secy.